राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1/3/2017 **किशन** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **बनाम महावीर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 424 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ में स्थित है। जो वादी एवं प्रारूपिक पक्षकार प्रतिवादी सं. 4 ता 7 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं वादी एवं प्रारूपिक पक्षकार साधिकार कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का कोई सम्बन्ध सरोकार उक्त वादांकित भूमि से नहीं हैं, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने अवैध रूप से ग्राम पंचायत गठवाडी का पट्टा बताकर नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उक्त वादग्रस्त भूमि पर जबरन प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तथा उक्त पट्टे की वादी के द्वारा जाँच पडताल करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में जारी पट्टे को अवैध बताया गया है, जिसकी फोटोप्रति दावे के साथ संलग्न नहीं हैं। तथा वादग्रस्त भूमि पर जबरन अनाधिकृत कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी कि भूमि पर जबरन कब्जा करने के उददेश्य से निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं लेकिन प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 बाहुबल में अधिक होने के कारण धमकियां देते हैं कि हम उक्त भूमि पर निर्माण करके रहेगे तथा तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देगे। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 भू-माफिया लोगों को आये दिन उक्त खातेदारी भूमि पर लाते हैं तथा वादी की कब्जा काश्त भूमि को अपनी भूमि बताकर निर्माण करने व जबरन कब्जा करने की बेबुनियाद बाते करते हैं जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कोई अधिकार नहीं कि वह उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें तथा कब्जेकाश्त से वादी को बेदखल करे इसलिए उन्हे उक्त अधिकार विहिन एवं अवैधानीक कार्य से रोकने के लिए पाबन्द करवाने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अन्तिम रूप. से दिनांक 02-01-2017 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहे तथा धमकाया कि वह उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर कब्जा करके रहेगे तथा उक्त भूमि पर निर्माण कर कब्जा दिगर को सम्भलायेगा तथा कहा कि हमारी पहुच आगे तक है हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की घटनाओ को अन्जाम दे सकते हैं। अगर तुम्हारा भला चाहते हो तो इस भूमि पर हमे राजी-राजी निर्माण कर लेने दो नही तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को जान से मार देगे। जिसके बाद उक्त कृत्यों के कारण वादकारण उत्पन्न	

होकर निरन्तर जारी हैं जिससे यह दावा दायर पेश करना आवश्यक हुआ। वादपत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद वादी डिकी किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 424 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गठवाडी पटवार हल्का गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वादी की भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नहीं करे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, अनाधिकृत प्रवेश करने का प्रयास नहीं करें उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखल नहीं करे तथा मोके की यथास्थिती बनाये रखे, तथा उक्त कार्य ना तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या परिवारजन इत्यादि से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19/01/2017 पारित करते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया गया कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 424 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गठवाडी पटवार हल्का गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वादी की भूमि में किसी प्रकार की दखल उत्पन्न नहीं करे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, अनाधिकृत प्रवेश करने का प्रयास नहीं करें, उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखल नहीं करे एवं वादी को पाबन्द किया जाता हैं कि अपनी खातेदारी भूमि कि ऑड में वह प्रतिवादी/मिन उत्तरदाता कि पट्टशुदा आबादी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार कि कोई दखलन्दाजी बाँधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी / मिन उत्तरदाता द्वारा अपनी पट्टेशुदा आबांदी पर किये जा रहे निर्माण कार्य में किसी प्रकार कि कोई बॉधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी मिन उत्तरदाता कि पट्टशुदा आबादी भूमि में अवैध प्रवेश एवं अतिक्रमण नहीं करें। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में सही रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है एवं चूँकि प्रतिवादी का ग्राम पंचायत

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	किशन हुक्म या कार्यवाही का इनिशियल्स बनाम महावीर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गठवाडी से प्राप्त आबादी पट्टेधारी होना एवं अपीलार्थी/वादी तथा प्रारूपिक रेस्पो./प्रतिवादी का रिकार्डेड खातेदार होने के तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट होता है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी होना जाहिर नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/01/2017 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |